भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1852
दिनांक 11 मार्च, 2025 / 20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

अखिल भारतीय आपातकालीन चेतावनी प्रणाली की स्थिति

†1852. सुश्री इकरा चौधरीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अक्तूबर, 2023 के दौरान किए गए परीक्षणों के बाद अखिल भारतीय आपातकालीन चेतावनी प्रणाली काम कर रही है;

(ख) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर ऐसी आपात स्थितियों के बारे में जनता को सचेत करने के लिए पिछले वर्षों में कभी इस प्रणाली का उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या फरवरी, 2025 में दिल्ली भूकंप के दौरान जनता को सावधान करते हुए कोई आपातकालीन चेतावनी भेजी गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने आपात स्थितियों के दौरान जनता की जागरुकता सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य विशिष्ट चेतावनी प्रणाली का उपयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): केन्द्र सरकार ने कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम (सचेत) को लागू किया है जो अलर्ट/पूर्व चेतावनी प्रसारित करने लिए कार्य कर रहा है। सीएपी प्लेटफॉर्म सभी अलर्ट उत्पन्न करने वाली एजेंसियों अर्थात भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लयूसी), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) को सभी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) के साथ एकीकृत करता है जो

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1852, दिनांक 11.03.2025

एसएमएस, मोबाइल ऐप, ब्राउज़र अलर्ट, आरएसएस फ़ीड और गगन और नाविक सैटेलाइट टर्मिनलों पर क्षेत्रीय भाषा में भू-लक्षित अलर्ट/चेतावनी जारी करने में सक्षम हैं।

सीएपी प्लेटफॉर्म का उपयोग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अलर्ट प्रसारित करने के लिए किया गया है। अब तक विभिन्न आपदाओं के लिए देश भर में 4500 करोड़ से अधिक अलर्ट संदेश प्रसारित किए जा चुके हैं। इसमें सचेत के माध्यम से दिल्ली में प्रसारित 23.9 करोड़ अलर्ट संदेश शामिल हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने दिल्ली का भूकंपीय सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण तैयार किया है और कई अन्य शहरों के भूकंपीय सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण का समर्थन किया है।

भूकंप की पूर्व चेतावनी के लिए कोई तंत्र नहीं है। हालांकि, मोबाइल एप्लीकेशन पर भूकंप की सूचना दी गई और नागरिकों को आफ्टरशॉक के लिए सावधानी बरतने के लिए सचेत किया गया।

सचेत के अतिरिक्त, दामिनी, मौसम और मेघदूत जैसे कई अन्य मोबाइल एप्लीकेशन भी आम लोगों को समय पर पूर्व चेतावनी और अलर्ट देने के लिए विकसित किए गए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने बिजली और बाढ़ जैसे विशिष्ट खतरों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली भी स्थापित की है। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) के अंतर्गत प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली को 05 राज्यों में स्थापित और चालू किया गया है, ताकि आपदाओं के दौरान विश्वसनीय संचार प्रदान किया जा सके और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके।

आईएमडी सभी प्रभावित/संभावित प्रभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियमित और सटीक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी बुलेटिन जारी करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जनता को चल रही आपदा घटनाओं और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में अपडेट करने के लिए सोशल मीडिया चैनलों का भी उपयोग करता है। देश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए नियमित रुप से मॉक अभ्यास और सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1852, दिनांक 11.03.2025

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से देश में अलर्ट और पूर्व चेतावनी तंत्र सहित आपदा प्रबंधन प्रथाओं में काफी सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मजबूत करना आपदा प्रबंधन अभ्यास की एक सतत और विकसित प्रक्रिया है।

*****